

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -310/2016/जोधपुर

मैसर्स महादेव बोरवेल,  
न्यू कॉलोनी, अजमेर रोड, बिलाडा, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपडा, अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,

.....प्रत्यर्थी की ओर

उप राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 11/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 30/आरवेट/जेयूबी/15-16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 17.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10.02.2015 के जरिये अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क रूपये 10,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का वर्ष 2012-13 का कर निर्धारण दिनांक 10.02.2015 को पारित किया जाकर विवरण पत्र की देरी के लिए विलम्ब शुल्क रूपये 10,000/- अभिनिर्धारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि धारा 21 के तहत विवरण पत्र प्रस्तुत करने पर किसी प्रकार की फीस आरोपित नहीं की जा सकती है। वैट नियमावली अधिनियम को संचालित करने हेतु प्रक्रियात्मक कानून है जो अधिनियम का स्थान नहीं ले सकता और न ही उसे प्रभावित कर सकता है। नियम 19ए में विवरणी को विलम्बता से पेश करने पर फीस कर दायी द्वारा जमा कराकर ही विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गई विवरणी को वेब पोर्टल द्वारा मान्यता प्रदान कर दिये जाने से विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रस्तुत की गई विवरणी deemed to be assessed की परिभाषा में मान्यता प्रदान की गई है तथा उसी के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है।

लगातार.....2



5. आगे कथन किया कि कर निर्धारण आदेश धारा 24 के तहत पारित किए जाने का तात्पर्य व्यवसायी द्वारा समस्त देय कर, ब्याज व फीस आदि जमा करवा दिए हैं एवं सशक्त अधिकारी द्वारा अपने खुले नेत्रों एवं चेतन्य मस्तिष्क से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर स्व-कर निर्धारण योजना के तहत कर निर्धारण आदेश पारित कर विलम्ब शुल्क आरोपित किया है जो अविधिक है।
6. सशक्त अधिकारी को विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण की शक्तियां भी प्रदत्त नहीं है अतः अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क अविधिक एवं शक्तियों से परे होने से अपास्त योग्य है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
8. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा इलेक्ट्रोनिकली अपलोड कर हार्डकापी कार्यालय में देरी से प्रस्तुत की। विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क जमा करवाने का दायित्व अपीलार्थी का है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
9. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी संविदा कार्यरत त्रैमासिक करदाता है जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के विवरण पत्र वेट 10 डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त इलेक्ट्रोनिकली दिनांक 06.04.2014 को अपलोड कर देरी से प्रस्तुत की।
10. विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में विधिक स्थिति धारा 21, नियम 19 एवं 19ए में निम्न प्रकार है :-

**Sec.21, FILING OF RETURN - (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.**

**(2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing Authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.**

**(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where (the Commissioner) if of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.**

**19 Return (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10, VAT-10A and VAT-11, as the case may be.**

**19 Return (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10A and VAT- 11, as the case may be.**

**(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official web-site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) , failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).**

लगातार.....3



- (3) Where the amount of tax, interest or late fee, if any, is not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of challan in Form VAT-37, receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner within fifteen days of the last date for filing of such returns(s)\
- (4) Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers ;
- (a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3; or
- (b) who exclusively deals in goods ;
- (i) which are exempted under the Act, or.....”

एवं नियम 19(10) में विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :-

“ Rule 19(10) Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of due tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return.”

यदि अपेक्षित विवरण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तो उसके लिये विलम्ब शुल्क का प्रावधान नियम 19ए के तहत किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है :-

**19A Late fee - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (F.12(11)FD/Tax 2013-104 dt. 6.3.2013 w.e.f. 1.4.2013)**

(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees twenty five thousand, in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act.

(ii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees one thousand, in case there is no turnover of the dealer during the period under return, and

(iii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

12. इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े (insertion) जाने के पश्चात की अवधि के लिए विवरण पत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे।

13. चूंकि वर्ष 2012-13 के लिये अपीलार्थी व्यवहारी को अपेक्षित वार्षिक विवरण पत्र वेट 10 में प्रस्तुत करना था जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त विवरण पत्र वेट 10 दिनांक 06.04.2014 को विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड कर देरी से प्रस्तुत की है। जिसमें विलम्ब शुल्क का भी अभिनिर्धारण कर जमा भी नहीं करवाया गया।

14. नियम 19ए के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी उक्त दोष के लिये नियम 19ए(iii) के अनुसार 50 रुपये प्रतिदिन परन्तु अधिकतम 5000/- रुपये तक के विलम्ब शुल्क का दायी होने की सीमा में आता है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त विलम्ब हेतु 10,000 रुपये ही विलम्ब शुल्क लगाया है जिसको अपीलीय अधिकारी ने पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

15. उपरोक्त विश्लेषण और विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य